13)2)23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। मूल वाद अंतिम डिक्री किया जा चुका है। अतः T I प्रार्थना पत्र का औचित्य शेष नहीं रहने के कारण T I प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।